भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2935

जिसका उत्तर 08.08.2024 को दिया जाना है

ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण की व्यवस्था

2935. श्री गिरिधारी यादव:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण की व्यवस्था ऑनलाइन है, लेकिन प्रिंटआउट आरटीओ कार्यालय में काउंटर पर जमा करना होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का ड्राइविंग लाइसेंस का प्रिंटआउट लेने की अनिवार्य व्यवस्था को समाप्त करके केवल ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस का नवीकरण सुनिश्चित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) इस मंत्रालय ने दिनांक 16 सितंबर, 2022 के का.आ. 4353(अ) के माध्यम से ऑनलाइन मोड में विभिन्न परिवहन संबंधी सेवाओं की अनुमति दी है, जिसमें ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण भी शामिल है, जिसके लिए वाहन चलाने की योग्यता का परीक्षण आवश्यक नहीं है। आधार प्रमाणीकरण (स्वैच्छिक आधार पर) के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने वाले व्यक्ति को आरटीओ कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है।

अगर किसी व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है तो वह ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करके ऐसी सेवा का लाभ उठा सकता है, लेकिन आवेदक को केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 18 में निर्धारित दस्तावेजों के साथ पहचान स्थापित करने के लिए वास्तविक रूप में आरटीओ कार्यालय जाना होगा।

*****